



मध्यप्रदेश राज्यपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 375]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 2 जुलाई 2018—आषाढ़ 11, शक 1940

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
58, अरेरा हिल्स, भोपाल—462011

क्र.-एफ-57 NN-01-2017-पाँच-478

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2018

आदेश

नगरीय निकायों के निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची (प्ररूप-10) में वर्णक्रम निर्धारण हेतु मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम-30 के तहत विहित प्रक्रिया।

1. आयोग द्वारा आदेश क्रमांक एफ-57-NN-01-2017-पाँच-178, भोपाल दिनांक 22-03-2017 से मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम-30(3) के अनुक्रम में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में अभ्यर्थियों के नामों का क्रम उनके नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग के आधार पर किया जाना विहित किया गया है। अभ्यर्थी से उसके नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग प्राप्त करने के लिए परिशिष्ट-1 निर्धारित किया गया था।

2. आयोग द्वारा नामनिर्देशन पत्र प्राप्त करने के लिए नवीन संलग्न प्ररूप-3 नामनिर्देशन पत्र निर्धारित किया गया है। नवीन प्ररूप-3 की कंडिका-20 में अभ्यर्थी के नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग प्राप्त किया जाना प्रावधानित किया गया है। कंडिका-20 में प्रावधान किये जाने के कारण अब परिशिष्ट-1 की आवश्यकता नहीं है। अतः नामनिर्देशन पत्र के साथ परिशिष्ट-1 प्राप्त किये जाने का प्रावधान विलोपित किया जाता है।

3. अभ्यर्थियों के नामों का क्रम उनके नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग के आधार पर निर्धारित करने के लिए आदेश में विहित अन्य समस्त निर्देश यथावत लागू रहेंगे।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार

हस्ता/-

(सुनीता त्रिपाठी)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग।

नगरपालिका निर्वाचन

प्र०-३

(नियम-24(2) देखिये)

नामनिर्देशन पत्र

मैं प्रस्तावक, *नगरपालिका निगम/नगरपालिका परिषद/नगर परिषद निर्वाचन के लिए निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट करता/करती हूँ :-

निर्वाचन के पद का विवरण

जिला				अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया स्टाम्प आकार का फोटो (2 से.मी. X 2.5से.मी.), जिसमें इस बॉक्स के भीतर पूरे चेहरे के सामने की आकृति स्पष्ट हो, चिपकाने के लिए स्थान	
*नगरपालिका निगम/नगरपालिका परिषद/नगर परिषद का नाम					
*पद का नाम, जिसके निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी को नाम निर्दिष्ट किया जा रहा है.	महापौर	अध्यक्ष	पार्षद		
पार्षद के लिए नामनिर्देशन की स्थिति में सम्बंधित वार्ड का क्रमांक					

अभ्यर्थी का विवरण

1. अभ्यर्थी का पूरा नाम (हिन्दी में)				
2. *लिंग	पुरुष	महिला	अन्य	
3. अभ्यर्थी के पिता/पति का नाम				
4. अभ्यर्थी के डाक का पूरा पता				

5. अभ्यर्थी का नाम मतदाता सूची में दर्ज होने का विवरण

*नगरपालिका निगम/नगरपालिका परिषद/नगर परिषद का वार्ड क्रमांक	मतदाता सूची का भाग अनुक्रमांक	मतदाता क्रमांक

प्रस्तावक का विवरण

6. प्रस्तावक का पूरा नाम (हिन्दी में)				
7. *लिंग	पुरुष	महिला	अन्य	
8. प्रस्तावक के पिता/पति का नाम				
9. प्रस्तावक के डाक का पूरा पता				

10. प्रस्तावक का मोबाइल नम्बर

*नगरपालिका निगम/नगरपालिका परिषद/नगर परिषद का वार्ड क्रमांक	मतदाता सूची का भाग अनुक्रमांक	मतदाता क्रमांक

*जो लागू न हो उसे काट दें।

दिनांक

प्रस्तावक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
नाम

अभ्यर्थी द्वारा नामनिर्देशन की सम्मति

मैं ऊपर नामित अभ्यर्थी इस नाम निर्देशन को अपनी सम्मति देता / देती हूँ और मेरे बारे में आवश्यक जानकारियाँ निम्नानुसार है :-

12.	जन्मतिथि	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
13.	संवीक्षा तिथि को पूर्ण होने वाली आयु (वर्ष में)								
14.	जाति अथवा वर्ग (जनजाति/ अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति/ अन्य मिछड़ा वर्ग)								
15.	आरक्षित वर्ग का सदस्य होने की स्थिति में जाति का नाम								
16.	जाति के लिए अधिसूचित जिले का नाम								
17.	**राजनैतिक दल का नाम, जिसके द्वारा निर्वाचन में खड़ा किया गया है								
18.	अधिमान क्रम में चुने गये प्रतीक चिन्ह	1.							
		2.							
		3.							
19.	मतपत्र में मुद्रित किये जाने वाला नाम (हिन्दी में)								
20.	मतपत्र में मुद्रित किये जाने वाले अभ्यर्थी के नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग								
21.	अभ्यर्थी का मोबाइल नम्बर								

मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार ऊर्धवर्गित जानकारी सत्य है तथा मैं उपर्युक्त *नगरपालिका निगम/नगरपालिका परिषद्/नगरपरिषद् के *महापौर/अध्यक्ष/पार्श्व दल के स्थान के लिए चुने जाने हेतु अहित नहीं हूँ और निर्विहित नहीं हूँ।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
नाम

दिनांक

नामनिर्देशन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज़

क्रमांक	दस्तावेज़ का विवरण	सलग्न (हैं/नहीं)
1.	मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम-24(क) के तहत आपाधिक पूर्ववृत्त, आस्तियाँ, दायित्वों तथा शैक्षणिक अहता घोषित करने के सम्बंध में निर्धारित प्रूलप में शापथपत्र दो हस्ताक्षरित अतिरिक्त प्रति के साथ।	
2.	राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किये जाने की स्थिति में मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम-31(2) के तहत प्रूलप-8	
3.	राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किये जाने की स्थिति में मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम-31(2) के तहत प्रूलप-9	
4.	आरक्षित वर्ग का सदस्य होने की स्थिति में मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र की प्रति।	
5.	प्रतिमूर्ति राशि जमा किये जाने की रसीद।	
6.	*मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा-17/मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा-35 के अंतर्गत विद्युत कम्पनी का बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाणपत्र।	
7.	*मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा-17/मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा-35 के अंतर्गत *नगरपालिका निगम/नगरपालिका परिषद्/नगरपरिषद् का बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाणपत्र।	
8.	मतपत्र पर मुद्रित करने के लिए अभ्यर्थी का स्टाम्प आकार का एक अतिरिक्त रंगीन फोटोग्राफ़।	
9.	अन्य -	
10.	अन्य -	

*लागू न होने वाला शब्द काट दीजिये।

**राजनैतिक दल द्वारा खड़ा न किये जाने की स्थिति में सम्मुख कॉलम में 'निर्दलीय' अंकित कीजिए।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
नाम

दिनांक

(रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भरा जाये)

1.	नामनिर्देशन का क्रमांक		
2.	रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन प्रस्तुत करने की तारीख		
3.	रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन प्रस्तुत करने का समय		
4.	*रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति	अभ्यर्थी	प्रस्तावक

नामनिर्देशन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का विवरण, जिसके सम्बन्ध में अभ्यर्थी को पावती दी गई है।

(कॉलम क्रमांक-3 एवं 4 में वही जानकारी अंकित की जाये जो अभ्यर्थी की पावती में अंकित की गई है।)

क्रमांक	दस्तावेज का विवरण	संलग्न (हाँ/नहीं)	यदि संलग्न नहीं है तो उक्त दस्तावेज रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करने की समर्यसीमा	
			दिनांक एवं समय	अवसर
1	2	3	4	5
1.	मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम-24(क) के तहत आपराधिक पूर्णवृत्त, आरितयों, दायित्वों तथा शैक्षणिक अहता घोषित करने के सम्बन्ध में निर्धारित प्रूलप में शपथपत्र दो हस्ताक्षरित अतिरिक्त प्रति के साथ		शपथपत्र, रिटर्निंग ऑफिसर को नामनिर्देशन पत्र परिदत्त करते समय ही प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।	
2.	राजनीतिक दल द्वारा खड़ा किये जाने की स्थिति में मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम-31(2) के तहत प्रूलप-8			नामबापसी के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
3.	राजनीतिक दल द्वारा खड़ा किये जाने की स्थिति में मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम-31(2) के तहत प्रूलप-9			नामबापसी के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
4.	आरक्षित वर्ग का सदस्य होने की स्थिति में मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र की प्रति			संवीक्षा के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
5.	प्रतिशूलि राशि जमा किये जाने की रसीद.		प्रतिशूलि राशि जमा किये जाने की रसीद, रिटर्निंग ऑफिसर को नामनिर्देशन पत्र परिदत्त करते समय ही प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।	
6.	*मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा-17 / मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा-35 के अंतर्गत विद्युत कम्पनी का बकाया न होने के सम्बन्ध में अदेय प्रमाणपत्र.			संवीक्षा के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
7.	*मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा-17 / मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा-35 के अंतर्गत *नगरपालिका निगम/नगरपालिका परिषद्/नगरपरिषद् का बकाया न होने के सम्बन्ध में अदेय प्रमाणपत्र.			संवीक्षा के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
8.	मतपत्र पर मुद्रित करने के लिए अभ्यर्थी का स्टाम्प आकार का एक अतिरिक्त रंगीन फोटोग्राफ.			नामबापसी के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
9.	अन्य —			
10.	अन्य —			

*जो लागू न हो उसे काट दें।

दिनांक _____

रिटर्निंग ऑफिसर (नगर पालिका)
के हस्ताक्षर

नाम _____

नामनिर्देशन पत्र को स्वीकृत या प्रतिक्षेपित करने के सम्बंध में रिटर्निंग ऑफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन पत्र का परीक्षण मध्यप्रदेश नगरपालिका निवाचन नियम 1994 के नियम-28 के अनुसार कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप से विनिश्चय करता हूँ :- (**)

दिनांक

रिटर्निंग ऑफिसर (नगर पालिका)

के हस्ताक्षर

नाम

सील

**यदि नामनिर्देशन पत्र प्रतिक्षेपित किया जाता है तो उसके कारण लिखे जायें।

***महापौर/अध्यक्ष/पार्षद के अभ्यर्थी को प्रदान करने के लिए नामनिर्देशन पत्र की पावती और संवीक्षा करने की सूचना।**

1.	नामनिर्देशन का क्रमांक		
2.	रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन प्रस्तुत करने की तारीख		
3.	रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन प्रस्तुत करने का समय		
4.	*रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति	अभ्यर्थी	प्रस्तावक
5.	अभ्यर्थी का नाम		
6.	*नगरपालिका निगम/नगरपालिका परिषद्/नगरपरिषद् का नाम		
7.	पद का नाम जिसके निवाचन के लिए नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत किया गया है। (पार्षद की स्थिति में वार्ड क्रमांक भी अंकित किया जाये)		
8.	नामनिर्देशन पत्र की संवीक्षा की तिथि		
9.	नामनिर्देशन पत्र की संवीक्षा का समय		
10.	नामनिर्देशन पत्र की संवीक्षा का स्थान		

नामनिर्देशन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का विवरण

क्रमांक	दस्तावेज़ का विवरण	संलग्न (हाँ/ नहीं)	यदि संलग्न नहीं है तो उक्त दस्तावेज़ रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करने की सम्भवीता	
			दिनांक एवं समय	अवसर
1	2	3	4	5
1.	मध्यप्रदेश नगरपालिका निवाचन नियम 1994 के नियम-24(क) के तहत आपराधिक पूर्ववृत्त, आस्तियाँ, दायित्वों तथा शैक्षणिक अहता घोषित करने के सम्बंध में निर्धारित प्रलूप में शपथपत्र दो हस्ताक्षरित अतिरिक्त प्रति के साथ.		शपथपत्र, रिटर्निंग ऑफिसर को नामनिर्देशन पत्र परिदत्त करते समय ही प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।	
2.	राजनीतिक दल द्वारा खड़ा किये जाने की स्थिति में मध्यप्रदेश नगरपालिका निवाचन नियम 1994 के नियम-31(2) के तहत प्रलूप-8			नामवापसी के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
3.	राजनीतिक दल द्वारा खड़ा किये जाने की स्थिति में मध्यप्रदेश नगरपालिका निवाचन नियम 1994 के नियम-31(2) के तहत प्रलूप-9			नामवापसी के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
4.	आरक्षित वर्ग का सदस्य होने की स्थिति में मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र की प्रति.			संवीक्षा के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
5.	प्रतिशूलि राशि जमा किये जाने की रसीद.		प्रतिशूलि राशि जमा किये जाने की रसीद, रिटर्निंग ऑफिसर को नामनिर्देशन पत्र परिदत्त करते समय ही प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।	संवीक्षा के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
6.	*मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा-17/ मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा-35 के अंतर्गत विद्युत कम्पनी का बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाणपत्र.			संवीक्षा के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
7.	*मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा-17/ मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा-35 के अंतर्गत *नगरपालिका निगम/नगरपालिका परिषद्/नगरपरिषद् का बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाणपत्र.			संवीक्षा के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
8.	मतपत्र पर मुद्रित करने के लिए अभ्यर्थी का स्टाम्प आकार का एक अतिरिक्त रंगीन फोटोग्राफ़।			नामवापसी के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
9.	अन्य –			
10.	अन्य –			

*जो लागू न हो उसे काट दें।

दिनांक _____

रिटर्निंग ऑफिसर (नगर पालिका)
के हस्ताक्षर

नाम _____

सील _____

क्र.-एफ-38-01-2016-तीन-328

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2018

आदेश

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची (प्रूप-8क, 8ख, 8ग, 8घ) में वर्णक्रम निर्धारण हेतु मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम-38(3) के तहत विहित प्रक्रिया.

1. आयोग द्वारा आदेश क्रमांक एफ-38-01-2016-तीन-386, भोपाल दिनांक 28 अक्टूबर 2016 से मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम-38(3) के अनुक्रम में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में अभ्यर्थियों के नामों का क्रम उनके नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग के आधार पर किया जाना विहित किया गया है। अभ्यर्थी से उसके नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग प्राप्त करने के लिए परिशिष्ट-1 निर्धारित किया गया है।
2. आयोग द्वारा नामनिर्देशन पत्र प्राप्त करने के लिए नवीन संलग्न प्रूप-4 निर्धारित किया गया है। नवीन प्रूप-4 की कंडिका-18 में अभ्यर्थी के नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग प्राप्त किया जाना प्रावधानित किया गया है। अतएव अब परिशिष्ट-1 की आवश्यकता नहीं होने के कारण नामनिर्देशन पत्र के साथ परिशिष्ट-1 प्राप्त किये जाने का प्रावधान समाप्त किया जाता है।
3. अभ्यर्थियों के नामों का क्रम उनके नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग के आधार पर निर्धारित करने के लिए आदेश में विहित अन्य समस्त निर्देश यथावत लागू रहेंगे।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार

हस्ता./-

(सुनीता त्रिपाठी)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग।

पंचायत निर्वाचन

प्रलप-4

(नियम-31 देखिये)

नामनिर्देशन पत्र

*जिला पंचायत सदस्य/जनपद पंचायत सदस्य/सरपंच/पंच

मैं प्रस्तावक, *जिला पंचायत सदस्य/जनपद पंचायत सदस्य/सरपंच/पंच के स्थान के लिए निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट करता/करती हूँ :-

*निर्वाचन के पद का विवरण

जिले का नाम			
*जिला पंचायत सदस्य		*जनपद पंचायत सदस्य	
जिला पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक/वार्ड क्रमांक	जनपद पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक/वार्ड क्रमांक

*सरपंच		*पंच		
जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड क्रमांक

अभ्यर्थी का विवरण

1.	अभ्यर्थी का पूरा नाम (हिन्दी में)			
2.	*लिंग	पुरुष	महिला	अन्य
3.	अभ्यर्थी के पिता/पति का नाम			
4.	अभ्यर्थी के डाक का पूरा पता			

5. अभ्यर्थी का नाम मतदाता सूची में दर्ज होने का विवरण

जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का वार्ड क्रमांक	मतदाता क्रमांक

प्रस्तावक का विवरण

6.	प्रस्तावक का पूरा नाम (हिन्दी में)			
7.	*लिंग	पुरुष	महिला	अन्य
8.	प्रस्तावक के पिता/पति का नाम			
9.	प्रस्तावक के डाक का पूरा पता			
10.	प्रस्तावक का मोबाइल नम्बर			

11. प्रस्तावक का नाम मतदाता सूची में दर्ज होने का विवरण

जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का वार्ड क्रमांक	मतदाता क्रमांक

*जो लागू न हो उसे काट दें।

दिनांक

प्रस्तावक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

नाम

अभ्यर्थी द्वारा नामनिर्देशन की सम्मति
मैं ऊपर नामित अभ्यर्थी इस नाम निर्देशन को अपनी सम्मति देता/देती हूँ और मेरे बारे में आवश्यक जानकारियाँ निम्नानुसार हैं :-

12.	जन्मतिथि	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
13.	संवीक्षा तिथि को पूर्ण होने वाली आयु (वर्ष में)								
14.	जाति अथवा वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)								
15.	आरक्षित वर्ग का सदस्य होने की स्थिति में जाति का नाम								
16.	जाति के लिए अधिसूचित जिले का नाम								
17.	मतपत्र में मुद्रित किये जाने वाला नाम (हिन्दी में)								
18.	मतपत्र में मुद्रित किये जाने वाले नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग								
19.	अभ्यर्थी का मोबाइल नम्बर								

मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार ऊपरवर्णित जानकारी सत्य है तथा मैं उपर्युक्त पद के लिए चुने जाने हेतु अर्हित हूँ और निरर्हित नहीं हूँ।

दिनांक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
नाम

नामनिर्देशन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज़

क्रमांक	दस्तावेज़ का विवरण	संलग्न (हौं/नहीं)
1.	मध्यप्रदेश पंचायत नियम 1995 के नियम-31(क) के तहत आपराधिक पूर्ववृत्त, आस्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक अहंता घोषित करने के सम्बंध में निर्धारित प्रूफरूप में *शपथपत्र/घोषणापत्र दो हस्ताक्षरित अतिरिक्त प्रति के साथ।	
2.	आरक्षित वर्ग का सदस्य होने की स्थिति में मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र की प्रति।	
3.	प्रतिशूलि राशि जमा किये जाने की रसीद।	
4.	मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-36 के अंतर्गत विद्युत कम्पनी का बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाणपत्र।	
5.	मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-36 के अंतर्गत के अंतर्गत *जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत का बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाणपत्र।	
6.	अन्य -	
7.	अन्य -	

*लागू न होने वाला शब्द काट दीजिये।

दिनांक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
नाम

(रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भरा जाये)

1.	नामनिर्देशन का क्रमांक			
2.	रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन प्रस्तुत करने की तारीख			
3.	रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन प्रस्तुत करने का समय			
4.	*रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति	अभ्यर्थी	प्रस्तावक	

नामनिर्देशन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का विवरण, जिसके सम्बंध में अभ्यर्थी को पावती दी गई है।
(कॉलम क्रमांक-3 एवं 4 में वही जानकारी अंकित की जाये जो अभ्यर्थी की पावती में अंकित की गई है।)

क्रमांक	दस्तावेज का विवरण	संलग्न (हाँ/नहीं)	यदि संलग्न नहीं है तो उक्त दस्तावेज रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करने की सम्भवीता	
			दिनांक एवं समय	अवसर
1	2	3	4	5
1.	मध्यप्रदेश पंचायत नियम 1995 के नियम-31(क) के तहत आपराधिक पूर्ववृत्त, आस्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक अहंता घोषित करने के सम्बंध में निर्धारित प्ररूप में *शपथपत्र/घोषणापत्र, रिटर्निंग ऑफिसर को नामनिर्देशन पत्र परिदत्त करते समय ही प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।		*शपथपत्र/घोषणापत्र, रिटर्निंग ऑफिसर को नामनिर्देशन पत्र परिदत्त करते समय ही प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।	
2.	आरक्षित वर्ग का सदस्य होने की स्थिति में मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र की प्रति।			संवीक्षा के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
3.	प्रतिश्रूति राशि जमा किये जाने की रसीद।		प्रतिश्रूति राशि जमा किये जाने की रसीद, रिटर्निंग ऑफिसर को नामनिर्देशन पत्र परिदत्त करते समय ही प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।	
4.	मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-36 के अंतर्गत विद्युत कम्पनी का बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाणपत्र।			संवीक्षा के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
5.	मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-36 के अंतर्गत के अंतर्गत जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत का बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाणपत्र।			संवीक्षा के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
6.	अन्य –			
7.	अन्य –			

*जो लागू न हो उसे काट दें।

दिनांक

रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) के
हस्ताक्षर

नामनिर्देशन पत्र को स्वीकृत या प्रतिक्षेपित करने के सम्बंध में रिटर्निंग ऑफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन पत्र का परीक्षण मध्यप्रदेश पंचायत निवाचन नियम 1995 के नियम-35 के अनुसार कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप से विनिश्चय करता हूँ :— (**)

दिनांक

रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) के
हस्ताक्षर

नाम

सील

**यदि नामनिर्देशन पत्र प्रतिक्षेपित किया जाता है तो उसके कारण लिखे जायें।

*जिला पंचायत सदस्य/जनपद पंचायत सदस्य/सरपंच/पंच पद के अभ्यर्थी को प्रदान करने के लिए नामनिर्देशन पत्र के लिए पावती और संवीक्षा करने की सूचना।

1.	नामनिर्देशन का क्रमांक	
2.	रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन प्रस्तुत करने की तारीख	
3.	रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन प्रस्तुत करने का समय	
4.	*रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति	अभ्यर्थी
5.	अभ्यर्थी का नाम	प्रस्तावक
6.	पद का नाम जिसके लिए नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिला पंचायत सदस्य/जनपद पंचायत सदस्य के लिए निवाचन क्षेत्र/वार्ड क्रमांक भी अंकित करें। सरपंच के लिए ग्राम पंचायत का नाम और पंच के लिए ग्राम पंचायत तथा वार्ड का क्रमांक भी अंकित करें।	
7.	नामनिर्देशन पत्र की संवीक्षा की तिथि	
8.	नामनिर्देशन पत्र की संवीक्षा का समय	
9.	नामनिर्देशन पत्र की संवीक्षा का स्थान	

नामनिर्देशन पत्र के सभी संलग्न दस्तावेजों का विवरण

क्रमांक	दस्तावेज़ का विवरण	संलग्न (हाँ/नहीं)	यदि संलग्न नहीं हैं तो उक्त दस्तावेज़ रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करने की समयसीमा दिनांक एवं समय		अवसर
			4	5	
1.	मध्यप्रदेश पंचायत नियम 1995 के नियम-31(क) के तहत आपराधिक पूर्ववृत्त, आस्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक अहंता घोषित करने के सम्बंध में निर्धारित प्ररूप में *शापथपत्र/घोषणापत्र दो हस्ताक्षरित अतिरिक्त प्रति के साथ।		*शापथपत्र/घोषणापत्र, रिटर्निंग ऑफिसर को नामनिर्देशन पत्र परिदत्त करते समय ही प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।		
2.	आरक्षित वर्ग का सदस्य होने की स्थिति में मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र की प्रति।			संवीक्षा के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व	
3.	प्रतिमूर्ति राशि जमा किये जाने की रसीद।		प्रतिमूर्ति राशि जमा किये जाने की रसीद, रिटर्निंग ऑफिसर को नामनिर्देशन पत्र परिदत्त करते समय ही प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।		संवीक्षा के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
4.	मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-36 के अंतर्गत विद्युत कम्पनी का बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाणपत्र।				संवीक्षा के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
5.	मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-36 के अंतर्गत के अंतर्गत *जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत का बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाणपत्र।				संवीक्षा के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
6.	अन्य –				
7.	अन्य –				

*जो लागू न हो उसे काट दें।

दिनांक

रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) के
हस्ताक्षर

नाम

सील